

पहला

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

बाजदायरी
स्वीकार
30/10/2019


APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बाजदायरी नुमांश पुत्र युलकाव बनाम राज. हरदर व सभा

बाजदायरी नुमांश नि. करवा एटो

किस्म मुकदमा ~~बाजदायरी नुमांश पुत्र युलकाव~~ सन् 20 19 (5/1/19)
बाज. प्रा.पत्र 422/2019 (रकरवा)

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुकम की तामील जारी हुए
पेशी 30/10/19	<p>श्री <u>गजेन्द्र सिंह राजावत</u></p> <p>यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र (पुनः नम्बर पर लिये जाने अपील) श्री गजेन्द्र सिंह राजावत एडवोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दिनांक 30.09.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के कारण पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है।</p> <p>अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र (पुनः नम्बर पर लिये जाने अपील) को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;"> राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>	